

Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan

Demands details for Bharatmala Project, Jainamore-Gola-Ormanjhi section.  
PKG-I (Jaina More-Gola section) & PKG-II (Gola – Ormanjhi section)  
[Forest Proposal No. : FP/JH/ROAD/146250/2021]


Wildlife Management Plan					
Particulars	Bokaro (PKG-I) (Rs.)	Ramgarh (PKG-I) (Rs.)	Ramgarh (PKG-II) (Rs.)	Ranchi (PKG-II) (Rs.)	Total (Rs.)
Total Revised Demand	148948000.00	115447000.00	88393000.00	129919000.00	
Amount earlier deposited	52122065.00	13069601.79	12718999.90	4400277.00	
Balance Amt.	96825935.00	102377398.21	75674000.10	125518723.00	400396056.31

Soil & Moisture Conservation Plan					
Particulars	Bokaro (PKG-I) (Rs.)	Ramgarh (PKG-I) (Rs.)	Ramgarh (PKG-II) (Rs.)	Ranchi (PKG-II) (Rs.)	Total (Rs.)
Total Revised Demand	88624000.00	96027000.00	40779000.00	35930000.00	
Amount earlier deposited	13030516.00	3267400.45	3179749.97	1100069.00	
Balance Amt.	75593484.00	92759599.55	37599250.03	34829931.00	240782264.58

\*Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan = Rs. 641178320.89 (Rupees Sixty Four Crore Eleven Lakh Seventy Eight Thousand Three Hundred Twenty and Eighty Nine Paisa).

Note (DFO Lt. No. & Date) :-

1. DFO, Bokaro (PKG-I) : 1) 1972 dt. 24.12.2025 & 2) 1649 dt. 16.10.2025.
2. DFO, Ramgarh (PKG-I) : 1) 347 dt. 28.02.2026 & 2) 2295 dt. 16.10.2025.
3. DFO, Ramgarh (PKG-II) : 1) 443 dt. 14.03.2026 & 2) 290 dt. 24.02.2026.
4. DFO, Ranchi (PKG-II) : 1) 3639 dt. 27.12.2025 & 2) 747 dt. 27.02.2026.

  
Project Director,  
PIU, Dhanbad (PKG-I)  
NHA, PIU  
Dhanbad

Aata Kumari/28.03.26  
Project Director,  
PIU, Ranchi (PKG-II).  
Project Director  
NHA PIU Ranchi



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

BLOCK-A, VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO-827013

E-mail : dfo-bokaro@gov.in & bokarodfo@gmail.com

Phone/Fax No : +91-6542-265142

पत्रांक :- 1972

दिनांक :- 24/12/2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,  
एन0एच0ए0आई0 कॉम्प्लेक्स, कान्द्रा,  
पोस्ट-भीतीया, थाना-गोबिन्दपुर,  
धनबाद-828109 ईमेल-dhan@nhai.org

विषय :- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना NH-320 भारतमाला परियोजना फेज-1 (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण के क्रम में स्टेज-1 में अधिरोपित शर्त सं0-A(3) के अनुपालन में Site Specific Wildlife Management Plan में स्वीकृत राशि Campa Account में जमा करने के संबंध में।

प्रसंग :- (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्रणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय आदेश सं0-41 एवं ज्ञापांक-929 दिनांक-19.08.2025 एवं कार्यालय आदेश सं0-59 एवं ज्ञापांक-1346 दिनांक-12.12.2025  
(2) इस कार्यालय का पत्रांक-1390 दिनांक-01.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि स्टेज-1 के शर्त सं0-A(3) के आलोक में Site Specific Wildlife Management Plan की स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्रणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय आदेश सं0-41 एवं ज्ञापांक-929 दिनांक-19.08.2025 द्वारा कुल राशि-2769.65 लाख की स्वीकृति दी गई है। उक्त परियोजना रामगढ़ एवं बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत पड़ता है। WLMP के तहत कुल कर्णांकित राशि में से बोकारो वन प्रमण्डल के लिए स्वीकृत राशि-1513.48 लाख रू0 है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्रणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय आदेश सं0-41 एवं ज्ञापांक-929 दिनांक-19.08.2025 द्वारा कंडिका-6.2.3.a में उल्लेखित Purchase of Interceptor Vehicle की राशि-20 लाख को विलोपित/निष्काषित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

आपके द्वारा Project of Cost का 2% कुल-5,21,22,065.00 रू0 (RTGS Appl.No-61146250122) पूर्व में झारखंड कैम्पा खाता में जमा किया गया है तथा अन्तर शेष राशि कैम्पा खाता में जमा किया जाना है जो निम्नवत है-

क्र0 सं0	Office Order No-41 Dt-19.08.2025 द्वारा स्वीकृत राशि	Revised Office Order No-59 Dt-12.12.2025 द्वारा कंडिका-6.2.3.a का विलोपित किये जाने वाले राशि	Escalation charge (20,00,000 x 20%)	Project of Cost का 2% जमा राशि	कैम्पा खाता में जमा किये जाने वाले अवशेष राशि
1.	15,13,48,000.00	20,00,000.00	4,00,000.00	5,21,22,065.00	9,68,25,935.00

अतः अनुरोध है कि माँग पत्र के अनुसार कुल राशि—9,68,25,935.00 रू0 (नौ करोड़ अड़सठ लाख पच्चीस हजार नौ सौ पैंतीस रूपये) मात्र झारखण्ड कैम्पा खाता में जमा करते हुए प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही भविष्य में राशि में परिवर्तन होने पर अन्तर राशि आपके द्वारा जमा की जाएगी, जिसके लिए आपके स्तर से वचनबद्धता अपेक्षित है। इस कार्यालय के पत्रांक—1390 दिनांक—01.09.2025 को संशोधित समझा जाय।

अनु०यथोक्त।

विश्वासभाजन,

*Hitish*  
*24/9/25*

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

*24/9/25*



## कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0-मरार, जिला-रामगढ़ पिन-829117)

Email id – [dfo-ramgarh@gov.in](mailto:dfo-ramgarh@gov.in), Land Line No-06553-296061 Mobile No-8987790306

पत्रांक:- 347

दिनांक:- 28/2/26

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,  
एन0एच0ए0आई0, धनबाद।

**विषय :-** भारतमाला परियोजना जैनामोड़ से गोला के जैनामोड़ से गोला खण्ड चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण अन्तर्गत 83.2295 हे0 (रामगढ़-16.6859 हे0 तथा बोकारो-66.5436 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के प्रथम चरण की स्वीकृति में लगाए गए शर्त संख्या-A-3 के तहत स्वीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना हेतु अतिरिक्त राशि के संशोधित मांग पत्र के संबंध में।

**प्रसंग:-**

1. इस कार्यालय का पत्रांक- 2295 दिनांक 16.10.2025
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यप्राणी, वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या-59 दिनांक 12.12.2025
3. इस कार्यालय का पत्रांक- 2709 दिनांक 27.12.2025
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या- 19 दिनांक 29.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना जैनामोड़ से गोला के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण अन्तर्गत 83.2295 हे0 (रामगढ़-16.6859 हे0 तथा बोकारो-66.5436 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक- FP/JH/ROAD/146250/2021/1177 दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पत्र की कंडिका संख्या-A(3) के अनुसार -“As recommended by the Regional Empowered Committee, a Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan should be prepared by concerned DFO and approved by the PCCF (Wildlife) & Chief Wildlife warden, Jharkhand for implementing them at project cost. The duly approved plan should be submitted in IRO, MoEF&CC, Ranchi before issuance of Final approval.” में सक्षम स्तर से प्रदत्त स्वीकृति के उपरांत राशि की मांग प्रासंगिक पत्र (1) द्वारा की गई थी। विदित हो कि पूर्व में आपके द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना हेतु 1,30,69,601.79/- रुपये की राशि जमा की गई है। प्रासंगिक पत्र (2) द्वारा किए विषयगत योजना में किए गए संशोधन के उपरांत प्रासंगिक पत्र (3) द्वारा संशोधित अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु पत्र दिया गया है।

पुनः दिनांक 08.01.2026 को हुए समीक्षात्मक बैठक के पश्चात प्रासंगिक पत्र (4) द्वारा वन्यजीव प्रबंधन योजना के कुछ कंडिका को exclude किया गया है। इस प्रकार किए गए संशोधन के आलोक में वन्यजीव प्रबंधन योजना हेतु अतिरिक्त राशि का संशोधित मांग पत्र निम्नवत् है:-

अतः शर्त संख्या- A(3) के आंशिक अनुपालन के क्रम में शेष राशि की गणना करते हुए मांग पत्र निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मांग विवरणी	वांछित राशि (रूपये में)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा राशि	अवशेष वसूलनीय राशि
1	शर्त सं०- A(3) के अनुसार Wild Life Management Plan 1. As per revised approved Plan vide Office order No-59 dated 12.12.2025 of PCCF wild life, Ranchi after excluded (i) item no-5.5.2- Construction of FRH (ii) Item no-5.5.4- Construction of staff quarter. 2. As per revised approved plan vide Office order No 19 dated 29.01.2026 of PCCF wild life, Ranchi after excluded (i) item no 5.3.1- Purchase of Motorcycle (ii) Maintenance thereof.	11,54,47,000.00	1,30,69,601.79	10,23,77,398.21
			<b>Total=</b>	<b>10,23,77,398.21</b>
			<b>Or Say</b>	<b>10,23,77,398.00</b>

अतः अनुरोध है वांछित राशि परिवेश पोर्टल पर Challan Generate करते हुए [e-portal parivesh.nic.in](http://e-portal.parivesh.nic.in) के द्वारा कैम्पा लेखा खाता में जमा करते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय में भी समर्पित करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

*Hitish*  
28/2/26

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रामगढ़।



## कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल।

(रांची रोड नियुक्त बी.आर.एल. गेट, पो-मरार, जिला-रामगढ़ पिन-829117)

Email Id - [dfo-ramgarh@gov.in](mailto:dfo-ramgarh@gov.in), Land Line No-06553-296061 Mobile No-8987790306

पत्रांक:- 443

दिनांक:- 14-03-2026

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,  
एन0एच0ए0आई0, रांची।

विषय :- भारतमाला परियोजना गोला से ओरमांडी के ओरमांडी-गोला खण्ड के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण अन्तर्गत 16.5557 हे0 (रामगढ़-12.30 हे0 तथा रांची-4.2557 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के प्रथम चरण की स्वीकृति में लगाए गए शर्त संख्या-A-3 के तहत स्वीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना हेतु अतिरिक्त राशि के संशोधित मांग पत्र के संबंध में।

- प्रसंग:-
1. इस कार्यालय का पत्रांक- 1934 दिनांक 28.08.2025
  2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यप्राणी वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या-60 दिनांक 12.12.2025
  3. इस कार्यालय का पत्रांक- 2685 दिनांक 20.12.2025
  4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या- 18 दिनांक 29.01.2026
  5. इस कार्यालय का पत्रांक- 346 दिनांक 28.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना गोला से ओरमांडी के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण अन्तर्गत 16.5557 हे0 (रामगढ़-12.30 हे0 तथा रांची-4.2557 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक- FP/JH/ROAD/146250/2021/1177 दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्रथम चरण की शर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पत्र की कंडिका संख्या-A(3) के अनुसार -"As recommended by the Regional Empowered Committee, a Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan should be prepared by concerned DFO and approved by the PCCF (Wildlife) & Chief Wildlife warden, Jharkhand for implementing them at project cost. The duly approved plan should be submitted in IRO, MoEF&CC, Ranchi before issuance of Final approval." में सक्षम स्तर से प्रदत्त स्वीकृति के उपरांत राशि की मांग प्रासंगिक पत्र (1) द्वारा की गई थी। विदित हो कि पूर्व में आपके द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना हेतु 1,27,18,999.90/- रुपये की राशि जमा की गई है। प्रासंगिक पत्र (2) द्वारा किए विषयगत योजना में किए गए संशोधन के उपरांत प्रासंगिक पत्र (3) द्वारा संशोधित अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु पत्र दिया गया है।

पुनः दिनांक 08.01.2026 को हुए समीक्षात्मक बैठक के पश्चात प्रासंगिक पत्र (4) द्वारा वन्यजीव प्रबंधन योजना के कुछ कंडिका को exclude किया गया है। इस प्रकार किए गए संशोधन के आलोक में वन्यजीव प्रबंधन योजना हेतु अतिरिक्त राशि का संशोधित मांग पत्र प्रासंगिक पत्र (5) द्वारा किया गया, परन्तु टंककीय भूलवश राशि में त्रुटि हो गई। अतः त्रुटियों का निराकरण कर पुनः संशोधित मांग पर निर्गत किया जा रहा है, जो निम्नवत् है:-

अतः शर्त संख्या-A(3) के आंशिक अनुपालन के क्रम में शेष राशि की गणना करते हुए मांग पत्र निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मांग विवरणी	राशि (रूपये में)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा राशि	अवशेष वसूलनीय राशि
1	शर्त सं०-A(3) के अनुसार Wild Life Management Plan 1. As per revised approved Plan vide Office order No-60 dated 16.12.2025 of PCCF wild life, Ranchi after excluded (i) 5.2.10- construction of Guard Quarter (excluded) 2. As per revised approved plan vide Office order No 18 dated 29.01.2026 of PCCF wild life, Ranchi after excluded (i) item no 5.3.4- Repair of Old quarters of Gola and Raingarh Range (excluded)	8,83,93,000.00	1,27,18,999.90	7,56,74,000.10
			<b>Total=</b>	<b>7,56,74,000.10</b>
			<b>Or Say</b>	<b>7,56,74,000.00</b>

अतः अनुरोध है वांछित राशि परिवेश पोर्टल पर Challan Generate करते हुए [e-portal parivesh.nic.in](http://e-portal.parivesh.nic.in) के द्वारा कैम्पा लेखा खाता में जमा करते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय में भी समर्पित करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

*Hitesh*

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रामगढ़।



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखण्ड)

Email: dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0631-2180265 (O); FAX: 0631-2182318



पत्रांक: 1859 दिनांक: 22.12.2025

महाप्रबंधक (तक) सह  
परियोजना निदेशक,  
एनओएचओआईओ, राँची।

**विषय-** भारतमाला परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 320 वी के कि०मी० 53.650 से कि०मी० 61.448 (गोला-ओरमांडी सेक्शन) के चौड़ीकरण हेतु-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 320 वी के अंतर्गत रकबा 18.5557 हे० वनभूमि अपयोजन में प्राप्त Stage-I के शर्तों का अनुपालन हेतु Wildlife Management Plan में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड, राँची के द्वारा प्लान संशोधन उपरान्त संशोधित राशि अनुमोदन हेतु प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

**प्रसंग-** (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय आदेश सं०-60 ज्ञापांक-1358 दिनांक-16.12.2025

(2) आपका पत्रांक-1859 दिनांक-22.12.2025

**महाराज,**  
उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र द्वारा आपने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-60 ज्ञापांक-1358 दिनांक-16.12.2025 में दिए गए निर्देश का अनुपालन करते हुए अनुमोदित वन्यप्राणी प्रबंधन योजना में संशोधन करते हुए संशोधित वन्यप्राणी प्रबंधन योजना इस कार्यालय में समर्पित किया है। प्रस्तुत संशोधित वन्यप्राणी प्रबंधन योजना का परीक्षण इस कार्यालय द्वारा किया गया है, प्रस्तुत संशोधित योजना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-60 ज्ञापांक-1358 दिनांक-16.12.2025 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाए गए हैं।

अतः संशोधित वन्यप्राणी प्रबंधन योजना को इस प्रमण्डल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

साथ ही सूचित करना है कि पूर्व में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-42 दिनांक-19.08.2025 द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप इस कार्यालय के पत्रांक-2633 दिनांक-08.09.2025 के द्वारा कुल लागत रुपये 1352.16 लाख मानते हुए अन्तर राशि (रुपये 1308.16 लाख) का माँग किया गया था।

सक्षम स्तर से संशोधन उपरान्त वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की कुल लागत राशि को पुनः निर्धारित करते हुए रुपये 1299.19 लाख निर्धारित की जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपके द्वारा 2% राशि वन्यप्राणी प्रबंधन योजना हेतु रुपये 44.00277 लाख मात्र ऑनलाईन चालान जेनेरेट करते हुए कैम्पा खाता में जमा किया जा चुका है।

अतः अंतर राशि (रुपये 1299.19 लाख - रुपये 44.00277 लाख = रुपये 1255.187 लाख OR रुपये 1255.19 लाख मात्र को ऑनलाईन चालान जेनेरेट करते हुए कैम्पा खाता में जमा करन सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
राँची वन प्रमण्डल, राँची।



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

BLOCK-A, VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO-827013

E-mail : dfo-bokaro@gov.in & bokarodfo@gmail.com

Phone/Fax No : +91-6542-265142

पत्रांक :- 1649

दिनांक :- 16/10/2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,  
एन0एच0ए0आई0 कॉम्प्लेक्स, कान्द्रा,  
पोस्ट-भीतीया, थाना-गोबिन्दपुर,  
धनबाद-828109 ईमेल-dhan@nhai.org

विषय :- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना NH-320 भारतमाला परियोजना फेज-1 (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण के क्रम में स्टेज-1 में अधिरोपित शर्त सं0-A(3) के अनुपालन में Soil & Moisture Conservation Plan में स्वीकृत राशि Campa Account में जमा करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय आदेश सं0-156 एवं ज्ञापांक-2412 दिनांक-14.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि स्टेज-1 के शर्त सं0-A(3) के आलोक में Soil and Moisture Conservation Plan की स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय आदेश सं0-156 एवं ज्ञापांक-2412 दिनांक-14.10.2025 द्वारा कुल-1846.51 लाख राशि की स्वीकृति दी गई है।

उक्त परियोजना रामगढ़ एवं बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत पड़ता है। SMC Plan के तहत कुल कर्णांकित राशि में से बोकारो वन प्रमण्डल के लिए स्वीकृत राशि-886.24 लाख रू0 है, जिसकी प्रति संलग्न है। आपके द्वारा Project of Cost का 0.5% कुल-13030516.00 रू0 (RTGS ref. no.-CNRBR52023100564892301) पूर्व में झारखंड कैम्पा खाता में जमा किया गया है तथा अन्तर शेष राशि कैम्पा खाता में जमा किया जाना है जो निम्नवत है-

क्र0सं0	कुल स्वीकृत राशि	Project of Cost का 0.5% जमा राशि	अवशेष राशि
1.	8,86,24,000.00	1,30,30,516.00	7,55,93,484.00

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त माँग पत्र के अनुसार कुल राशि-7,55,93,484.00रू0 मात्र झारखण्ड कैम्पा खाता में जमा किया जाना है, तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को शीघ्र देना सुनिश्चित करें। साथ ही भविष्य में राशि में परिवर्तन होने पर अन्तर राशि आपके द्वारा जमा की जाएगी, जिसके लिए आपके स्तर से वचनबद्धता अपेक्षित है।

अनु0यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Vikas  
16/10/25

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

15/10/2025



## कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0-मरार, जिला-रामगढ़ पिन-829117)

Email id - [dfo-ramgarh@gov.in](mailto:dfo-ramgarh@gov.in), Land Line No-06553-296061 Mobile No-8987790306

पत्रांक:- 2295

दिनांक:- 16/10/25

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,  
एन0एच0ए0आई0, धनबाद।

**विषय :-** भारतमाला परियोजना जैनामोड़ से गोला के जैनामोड़ से गोला खण्ड चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण अन्तर्गत 83.2295 हे0 (रामगढ़-16.6859 हे0 तथा बोकारो-66.5436 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के प्रथम चरण की स्वीकृति में लगाए गए शर्त संख्या-A-3 के तहत स्वीकृत Soil and Moisture Conservation Plan हेतु अतिरिक्त राशी के मांग पत्र के संबंध में।

**प्रसंग:-** 1. इस कार्यालय का पत्रांक-1988 दिनांक 27.09.2023  
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या-156 दिनांक 14.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना गोला से ओरमांझी के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण अन्तर्गत 83.2295 हे0 (रामगढ़-16.6859 हे0 तथा बोकारो-66.5436 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक- FP/JH/ROAD/146250/2021/1177 दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पत्र की कंडिका संख्या-A(3) के अनुसार -"As recommended by the Regional Empowered Committee, a Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan should be prepared by concerned DFO and approved by the PCCF (Wildlife) & Chief Wildlife warden, Jharkhand for implementing them at project cost. The duly approved plan should be submitted in IRO, MoEF&CC, Ranchi before issuance of Final approval." में समर्पित मृदा एवं नमी संरक्षण योजना को प्रासंगिक पत्र (2) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त स्वीकृति के आलोक में मृदा एवं नमी संरक्षण योजना हेतु अतिरिक्त राशि की मांग की जानी है। पूर्व में आपके द्वारा मृदा एवं नमी संरक्षण योजना हेतु 32,67,400.45/- रुपये की अग्रिम राशि जमा की गई है। (प्रासंगिक पत्र-1)

अतः शर्त संख्या- A(3) के आंशिक अनुपालन के क्रम में शेष राशि की गणना करते हुए मांग पत्र निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मांग विवरणी	राशि (रूपये में)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा राशि	अवशेष वसूलनीय राशि
1	शर्त सं०- A(3) के अनुसार Soil and Moisture Conservation Plan As per approved Plan	9,60,27,000.00	32,67,400.45	9,27,59,599.55
			<b>Total=</b>	<b>9,27,59,599.55</b>
			<b>Or Say</b>	<b>9,27,59,560.00</b>

अतः अनुरोध है वांछित राशि परिवेश पोर्टल पर Challan Generate करते हुए [e-portal parivesh.nic.in](http://e-portal.parivesh.nic.in) के द्वारा कैम्पा लेखा खाता में जमा करते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय में भी समर्पित करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

*Nitish*  
16/1/25  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रामगढ़।



## कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो-गरार, जिला-रामगढ़ पिन-829117)

Email Id - [dfo-ramgarh@gov.in](mailto:dfo-ramgarh@gov.in), Land Line No-06553-296061 Mobile No-8987790306

सेवा में,  
पत्रांक:- 290

दिनांक:- 24/2/26

मेल नं.

पत्र संख्या-6979

दिनांक-25/2/26

परियोजना निदेशक,  
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,  
एन0एच0ए0आई0, रांची।

**विषय :-** भारतमाला परियोजना गोला से ओरमांझी के ओरमांझी-गोला खण्ड के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण अन्तर्गत 16.5557 हे0 (रामगढ़-12.30 हे0 तथा रांची-4.2557 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के प्रथम चरण की स्वीकृति में लगाए गए शर्त संख्या-A-3 के तहत स्वीकृत Soil and Moisture Conservation Plan हेतु अतिरिक्त राशी के मांग पत्र के संबंध में।

- प्रसंग:-**
1. इस कार्यालय का पत्रांक-1988 दिनांक 27.09.2023
  2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या-123 दिनांक 19.08.2025
  3. इस कार्यालय का पत्रांक- 1935 दिनांक 28.08.2025
  4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या-400 दिनांक 12.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना गोला से ओरमांझी के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण अन्तर्गत 16.5557 हे0 (रामगढ़-12.30 हे0 तथा रांची-4.2557 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक- FP/JH/ROAD/146250/2021/1177 दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पत्र की कंडिका संख्या-A(3) के अनुसार -"As recommended by the Regional Empowered Committee, a Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan should be prepared by concerned DFO and approved by the PCCF (Wildlife) & Chief Wildlife warden, Jharkhand for implementing them at project cost. The duly approved plan should be submitted in IRO, MoEF&CC, Ranchi before issuance of Final approval." में समर्पित मृदा एवं नमी संरक्षण योजना को प्रासंगिक पत्र (2) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त स्वीकृति के आलोक में मृदा एवं नमी संरक्षण योजना हेतु अतिरिक्त राशि की मांग इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र (3) द्वारा मांग पत्र निर्गत किया गया है। पुनः प्रासंगिक पत्र (4) द्वारा विषयगत योजना का संशोधित आदेश निर्गत किया गया, जिसके आलोक में संशोधित मांग पत्र निर्गत किया जाना है।

प्राप्त आदेश के अवलोकन एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि जिन घटकों को हटाया गया है उनके स्थान पर SMC कार्य ही भविष्य में किया जाना है। अतः पूर्व में प्रांसगिक पत्र (3) द्वारा दिए गए मांग पत्र को यथावत रखते हुए राशि जमा करने हेतु निदेशित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मांग विवरणी	राशि (रूपये में)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा राशि	अवशेष वसूलनीय राशि
1	शर्त सं०- A(3) के अनुसार Soil and Moisture Conservation Plan As per approved and modified plan	4,07,79,000.00	31,79,749.97	3,75,99,250.03
			<b>Total=</b>	<b>3,75,99,250.03</b>
			<b>Or Say</b>	<b>3,75,99,250.00</b>

अतः अनुरोध है वांछित राशि परिवेश पोर्टल पर Challan Generate करते हुए [e-portal parivesh.nic.in](http://e-portal.parivesh.nic.in) के द्वारा कैम्पा लेखा खाता में जमा करते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय में भी समर्पित करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

*Natish*  
24/2/26

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रामगढ़।



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386



पत्रांक:- 747 दिनांक:- 27/02/2026

सेवा में,

महाप्रबन्धक (तक) सह  
परियोजना निदेशक,  
एन0एच0ए0आई0, राँची।

विषय:- भारतमाला परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 320 बी के कि0 मी0 53.650 से कि0 मी0 81.446 (गोला-ओरमांडी सेक्शन) के चौड़ीकरण हेतु :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 320 बी के अंतर्गत रकवा 16.5557 हे0 वनभूमि अपयोजन में प्राप्त Stage-I के शर्तों का अनुपालन हेतु Soil & Moisture Conservation Plan में प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक, झारखण्ड, राँची के द्वारा संशोधन उपरान्त संशोधित राशि अनुमोदन हेतु प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-2337 दिनांक- 24.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपने प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक-400 दिनांक-12.02.2026 में दिए गए निर्देश का अनुपालन करते हुए अनुमोदित मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) योजना में संशोधन करते हुए संशोधित मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) योजना इस कार्यालय में समर्पित किया है। प्रस्तुत संशोधित मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) योजना इस कार्यालय के पत्रांक-592 दिनांक-18.02.2026 द्वारा की गई संशोधन के अनुरूप पाए गए हैं।

अतः संशोधित मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) योजना को इस प्रमण्डल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

साथ ही सूचित करना है कि पूर्व में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक-2710 दिनांक-28.11.2025 द्वारा अनुमोदित मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) योजना के अनुरूप इस कार्यालय के पत्रांक-3555 दिनांक-16.12.2025 के द्वारा कुल लागत रुपये 357.13 लाख मानते हुए अन्तर राशि (रुपये 346.13 लाख) का माँग किया गया था।

संशोधन उपरान्त मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) योजना की कुल लागत राशि को पुनः निर्धारित करते हुए रुपये 359.30 लाख की अनुशंसा की जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपके द्वारा 0.5% राशि मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) योजना हेतु रुपये 11.00069 लाख मात्र ऑनलाईन चालान जेनेरेट करते हुए कैम्पा खाता में जमा किया जा चुका है।

अतः अंतर राशि (रुपये 359.30 लाख - रुपये 11.00069 लाख = रुपये 348.2993 लाख ) OR रुपये 348.30 लाख मात्र को ऑनलाईन चालान जेनेरेट करते हुए कैम्पा खाता में जमा करना सुनिश्चित करें।

0/c

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
राँची वन प्रमण्डल, राँची।  
27/02/2026